कार्यालय उपायुक्त विद्याधर जोन, नगर निगम, जयपुर।

साईंस पार्क के पास, शास्त्री नगर, जयपुर।

क्रमांक : एफ 55 ( ) वि.जोन/अ.नि./17-18/2541 दिनाँकः– 12/12/17

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

विषयः– विद्याधर नगर सैक्टर 9 स्टेडियम के सामने एवं आसपास सुविधा क्षेत्र में स्थित झुग्गी झोपड़ियों को हटाने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि विद्याधर नगर सैक्टर–9 जयपुर विकास प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार अर्न्तगत स्थित है। विद्याधर नगर सैक्टर–9 स्थित स्टेडियम के सामने जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा छोडे गये खाली भूखण्ड (सुविधा क्षेत्रों) में लोगों द्वारा अस्थायी झुग्गी झोपडियाँ बनाकर अतिक्रमण कर रखा है। इनके कारण स्टेडियम के आसपास गंदगी रहती है। जिससे यहाँ के निवासियों एवं सुबह घूमने आने वाले व्यक्तियों को भयंकर बदबू का सामना करना पड़ता है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छता सर्वेक्षण 2018 हेतु केन्द्र सरकार के शहरी विकास मन्त्रांलय का दल स्वच्छता सर्वेक्षण हेतु 4 जनवरी 2018 से जयपुर आना प्रस्तावित है। ऐसी स्थिति में स्वच्छता सर्वेक्षण पर विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार आपके क्षेत्राधिकार में स्थित अस्थायी झुग्गी झोपडियाँ को तत्काल हटाये जाने के आदेश जारी करने का श्रम करावें।

सधन्यवाद

उपायुक्त
विद्याधर जोन
नगर निगम, जयपुर।

प्रतिलिपीः– सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निजि सहायक माननीय महापौर महोदय, नगर निगम, जयपुर।
2. निजि सहायक आयुक्त महोदय, नगर निगम, जयपुर।
3. अति. आयुक्त महोदय, नगर निगम, जयपुर।
4. तकनीकी सहायक, मुख्य अभियन्ता, नगर निगम, जयपुर।
5. अधीक्षण अभियन्ता, नगर निगम, जयपुर।
6. सुरक्षित पत्रावली।

उपायुक्त
विद्याधर जोन
नगर निगम, जयपुर।

Scanned by CamScanner

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता विद्याधर जोन खण्ड–प्रथम,
नगर निगम, जयपुर।
साईन्स पार्क के पास, शास्त्री नगर, जयपुर।

क्रमांक : एफ–29 ( ) अ.अ. वि.डी. जोन खण्ड–प्रथम / 18–19 / 246   दिनाँकः– 23/7/18

अधीक्षण अभियन्ता,
नगर निगम, जयपुर।

विषयः– दिनांक 17.02.2018 को प्रमुख समाचार–पत्र राजस्थान पत्रिका जयपुर में प्रकाशित खबर शीर्षक "खुले में यूरिन सेम्पल, हजारों लोग अब भी मजबूर .... मुस्करा रहे अफसर" के संबंध में। 031815932586548

प्रसंगः– श्री ज्ञानेश कुमार द्वारा माननीया मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान सरकार को संबोधित–पत्र।

महोदय,

उपरोक्त विषय में प्रांसगिक पत्र का अवलोकन करें। समाचार–पत्र के माध्यम से जिस प्रकार से तथ्यों को दर्शाया गया, सही नहीं है, आवश्यकता व मांग के हिसाब से शहर के विभिन्न वार्डो में पर्याप्त संख्या में सार्वजनिक शौचालय व मुत्रालयों की व्यवस्था नगर निगम, जयपुर के स्तर से उपलब्ध कराई गई है। प्रकरण विद्याधर नगर के वार्ड संख्या 09 से संबंधित है, जहॉ पर घुमंतू समुदाय के व्यक्ति जयपुर विकास प्राधिकरण के नियंत्रणाधीन सुविधा क्षेत्र की भूमि पर कहीं से विस्थापित होकर अधिवास कर रहें है। इनकी बस्तियों में व आसपास गंदगी बनी रहती है तथा आस–पास के निवासियों द्वारा समय–समय पर इसकी शिकायतें दर्ज कराई जाती रही है। इन झुग्गी–झोपडियों को अन्यंत्र शिफ्ट करने बाबत जयपुर विकास प्राधिकरण को निगम की तरफ से पत्र भी लिखा गया था। जिस पर प्राधिकरण द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया। सुलभ संदर्भ हेतु पत्र दिनांक 12.10.2017 की प्रति संलग्न है।

इस प्रकार की अवैध बस्तियों के लिए कोई स्थाई सार्वजनिक शौचालय/मुत्रालय सुविधा क्षेत्र में निर्मित नहीं हो सकते। हॉ अस्थाई तौर पर नगर निगम, जयपुर द्वारा वहॉ चल शौचलय/मुत्रालय की व्यवस्था की गई है लेकिन इसके बावजूद सामाजिक चेतना के अभाव में यह एक अल्पकालिक समस्या (Floatuing Problem) है जिसका समाधान ढुढ़ना होगा क्योंकि यह घुमंतू समुदाय स्थाई रूप से एक स्थान पर बहुत समय तक ठहरती नहीं है। इस स्थिति में इस अल्पकालिक समस्या का अभी कोई स्थाई समाधान संभव नहीं है।

अतः उपरोक्तानुसार वस्तुस्थिति रिपोर्ट सादर प्रस्तुत है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

(राजेश मीणा)
अधिशाषी अभियन्ता
विद्याधर जोन खण्ड–प्रथम
नगर निगम, जयपुर।

E:\Hindi Letter 2018-19\Hindi Letter DIV-I.doc

Scanned by CamScanner